# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

प्रकरण संख्याः 2024/1

**हरीराम**

**बनाम**

**महावीर प्रसाद वगै0**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अर्न्तगत**

निर्णय दिनांकः—23.08.2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि हरीराम पुत्र तुलछाराम जाति नाई निवासी नेहराना द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा नहराना के खसरा नम्बर 25 के पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण सदामत से चालु रास्ते का प्रार्थी उपभोग करता आ रहा था जिसे अप्रार्थीगण महावीर—दलीप—सतवीर पि0 सूरजाराम जाति अहीर द्वारा बाडबंदी कर बंद कर दिया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस, पटवारी हल्का से रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट प्राप्त कि। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खसरा 24/1 मे जाने के लिए मूल खसरा 24 के पूर्व दिशा यानि 24/2 के पूर्वी दिशा में स्वीकृत शुद्धा रास्ता मौके पर चालू है एवम् 25 नम्बर खसरे मे आने जाने हेतु पगडंडी/रास्ता आवागमन हेतु बहुत लम्बे समय से बंद है। भू अभिलेख निरीक्षक मेघाना द्वारा अलग से रिपोर्ट पेश की गई कि ख0न0 25 में सदामत से चालु रास्ता था जिसका उपभोग प्रार्थी करता आया था जो मौके पर सींव पर बाड़बंदी कर रोका गया है। अप्रार्थीगण महावीर—दलीप—सतवीर पि0 सुरजाराम द्वारा लिखित में जवाब पेश किया कि ख0न0 25 में हरीराम का कभी भी आवागमन नही रहा एवम् हरीराम के खेत मे जाने के लिए ख.न. 24/1 के पूर्व में स्वीकृत शुद्धा रास्ता है जो कि मौके पर चालु है वर्तमान में मूल खसरा 24 का विभाजन होकर 24/1, 24/2 दर्ज है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, हल्का पटवारी रिपोर्ट/भू.अ.निरीक्षक एवम् अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुची हूं कि प्रार्थी हरीराम को अपनी जोत रौही मौजा नहराना के ख0न0 24/1 मे पहुंच हेतु ख0न0 25 की पश्चिमी सींव की तरफ से उतर से दक्षिण सदामत से चालु रास्ता (प.ह. रिपोर्ट नक्शानुसार) जो वर्तमान में सींव पर बाड़बंदी कर रोका गया है को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत खुलवाया जाना उचित है। पटवारी हल्का भंगूली एवम् भू.अभिलेख निरीक्षक मेघाना को आदेश जारी हो कि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि ना हो तो प्रश्नगत सदामत के रास्ते को खुलवावे अगर मौका पर फसल काश्त हो तो उसे ध्वस्त करवाकर खुलवाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(भार्गवी सन्धू R.T.S.)
तहसीलदार राजस्व
नोहर

2024/1

# कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़

क्रमांक/ रीडर/ इजराय/2024/ 312-13 दिनांक 2/9/2024

1. ILR मेघाना
2. प. ह. मंगूली

प्रकरण संख्या 2024/01 अन्तर्गत हरीराम V/S महावीर वगैरह के निर्णय दिनांक 23/08/24 की प्रति संलग्न लेख है कि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश/विवाद: नहीं तो निर्णयानुसार पालना की जाकर रिपोर्ट आगामी कार्यदिवस में पेश करें।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

2024/01

19 मौजरी नक्शा
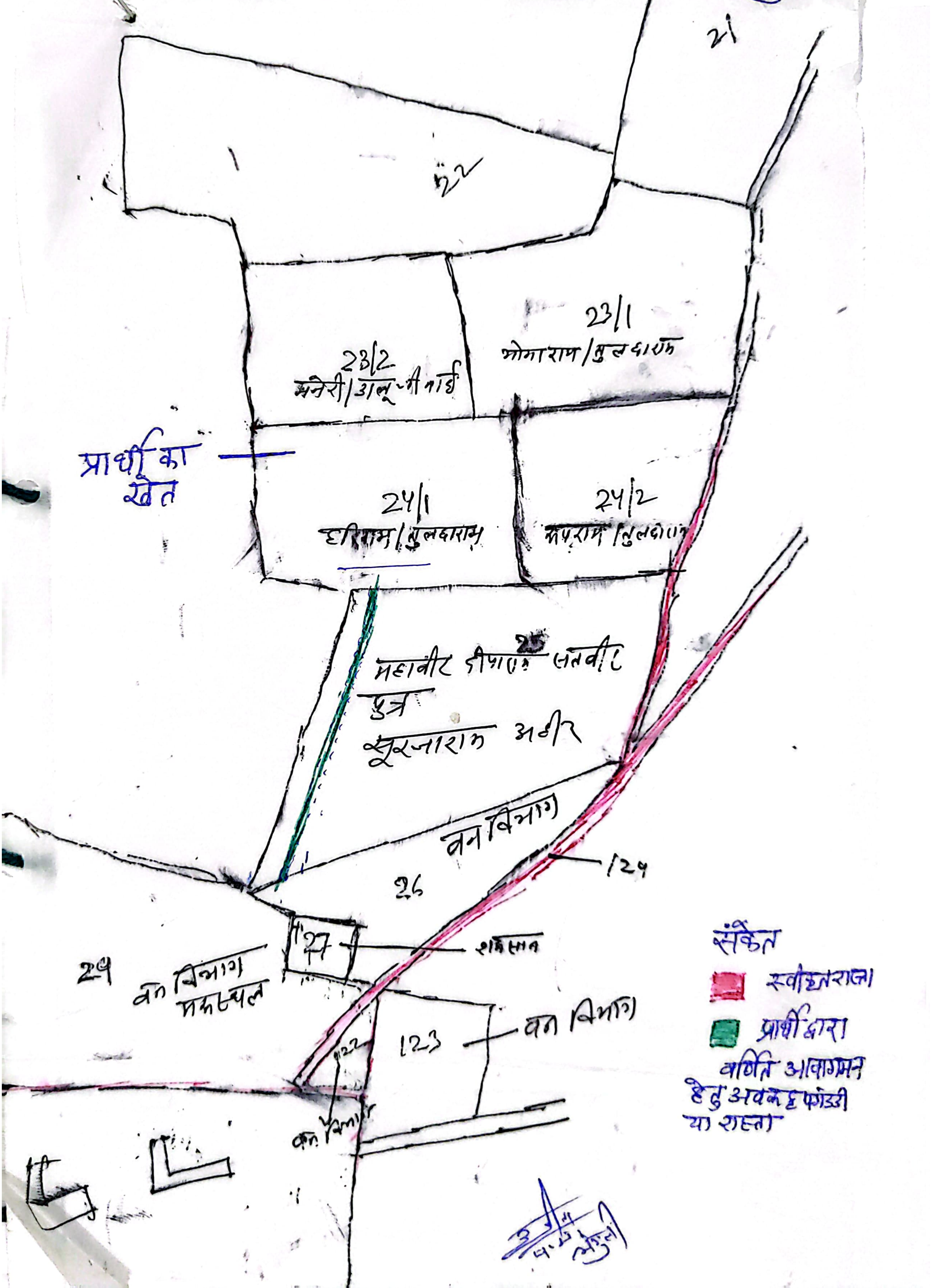
(5)